

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान उपपुर द्वा
जारी आधी सूचना दिनांक 20.04.17 फंश की
जिसके संबंध में पत्रावली वास्तु बहस हेतु
दिनांक 8.11.18 का फंश है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज०)

6/11/18 वकूलाय उपस्थ
श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब पक्ष में है पेशी इलतवा
होकर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को पेश हो।

20.11.18 श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्यो में व्यस्त होने
से पत्रावली दिनांक 20.11.18 का फंश है।

5/2/19 वकूलाय उपस्थ
पत्रावली वास्तु बहस आधिक
19/2/19 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज०)

19/2/19 वकूलाय उपस्थ
पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इलतवा
होकर पत्रावली दिनांक 26/3/19 को पेश हो।

26.03.2019

वकूलाय उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 के सम्बन्ध में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ए) के तहत अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय की अपील के प्रावधान उप-धारा (9) में प्रावधित हैं, जिसके तहत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 के जरिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया था। नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक/प. 3(50)नवि/3 /2012 दिनांक 20.04.2017 के जरिये उप-धारा (9) के तहत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है, जो आज भी प्रभावी है। इस प्रकार अपील हाजा न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं होने से खारिज कराने का निवेदन किया।

जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>इसका विरोध करते हुए वकील प्रार्थी ने कथन किया कि धारा 90 (ए) की उप-धारा (9) में यह स्पष्ट प्रावधित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस निम्न प्राधिकृत किये गये कलेक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को अपील की सुनवाई के अधिकार प्रदान किए हैं। इस कारण अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार की होने से अपील में आगामी कार्यवाही कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ए) तथा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1345 का सहारा लिया।</p> <p>हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा जिस न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया है, जो प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होता है, क्योंकि प्रकरण हाजा में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ए) की उप-धारा 8 के तहत पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त धारा 90 (बी) में पारित आदेश से सम्बन्धित हैं, जिसे राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 2012 (2012 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक 12)-राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4 (क) में प्रकाशित (दिनांक 02 मई, 2012 से प्रवृत्त) द्वारा धारा 90-ख को निरसित किया जा चुका है। इस कारण उक्त सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ए) की उप-धारा (9) में जो अपील के प्रावधान प्रावधित है, उनमें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी करते हुए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मूल अधिनियम में "कलेक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी" शब्द का प्रयोग किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 के जरिये "जिला कलेक्टर्स" को अपील की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया है। इसके पश्चात नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक/प. 3(50)नवि/3/2012 दिनांक 20.04.2017 के जरिये उप-धारा (9) के तहत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। इस अधिसूचना को निरसित अथवा अधिभ्रमित किया गया हो, वकील प्रार्थी ऐसा कोई तथ्य अथवा इस अधिसूचना का खण्डन करने में असमर्थ रहे हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील हाजा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं होने से खारिज की जाती है तथा वकील प्रार्थी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में चाराजोही करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

शिला कलेक्टर पाली
जिला कलेक्टर पाली

24/5